

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 98] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 22, 1978/फाल्गुन 3, 1899
No. 98] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 22, 1978/PHALGUNA 3, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

जाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1978

का. जा. 122(अ).—अख्तारी कागज नियन्त्रण आदेश, 1962 सं.सी.एच.(1)-18(1)/
62 दिनांक 17 जनवरी 1962 के खंड 2 के उपखंड (ख) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए, भारत सरकार श्री आर. सी. डे, उप प्रेस रजिस्ट्रार, भारत के समाचार
पत्रों के रजिस्ट्रार का कार्यालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली को उस आदेश
के अधीन नियंत्रक की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एतद्वारा तत्काल प्रभाव
से नियुक्त करती हैं।

2. उक्त आदेश के अधीन नियंत्रक के रूप में श्री आर. नारायण, उप प्रेस रजिस्ट्रार की नियुक्ति से सम्बन्धित इस मंत्रालय की पहले की अधिसूचना सं. का. आ. 234(क) दिनांक 27 मार्च, 1974 तत्कालीन रद्द की जाती है।

[फा. सं. 13(33)/77-एफ. टी. (कोऑर्ड)]

टी. वी. अन्टोनी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 1978

S. O. 122(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-clause (b) of Clause 2 of the Newsprint Control Order, 1962, No. CH(1)-18(1)/62 dated the 17th January, 1962, the Government of India are hereby pleased to appoint Shri R. C. Dey, Deputy Press Registrar, Office of the Registrar of Newspapers for India, Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi, to exercise powers of the Controller under that order, with immediate effect.

2. This Ministry's earlier Notification No. S. O. 234(E) dated the 27th March, 1974 relating to the appointment of Shri R. Narayan, Deputy Press Registrar, as Controller under the said Order is hereby cancelled.

[F. No. 13(33)/77-Ft(Coord)]

T. V. ANTONY, Jt. Secy.